



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
हापुड ज़ोन, हापुड

संख्या: 26VSNOC02039902 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2025-26

दिनांक: 23/11/2025

M/S RAJ IMPEX PROP. SHRI KUNAL BANSHAL

PLOT NO G 146 UPSIDA INDUSTRIAL AREA M G ROAD MASOORI DISTRICT HAPUR

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का प्रारंभिक निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS25465072 दिनांक 21/11/2025

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22/11/2025 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 49 किलोवाट।

टिप्पणी :

विद्युत संयोजन ऊर्जीकृत करने हेतु उपलब्ध विद्युत अधिष्ठापन सन्तोषजनक अवस्था में पाया गया। विद्युत भार संयोजित नहीं पाया गया। विद्युत अधिष्ठापन को सुरक्षित रखने हेतु निम्नांकित सुझावों का अनुपालन किया जाये- 1-तारों, केबिल्स, चेन्जओवर एवं मेन स्विच पर उनकी क्षमता से अधिक विद्युत भार न डालें। 2-मोर्टर्स, मशीनों एवं मेटल स्ट्रक्चर को सक्षम अर्थ से संयोजित रखें। 3- अर्थ रजिस्ट्रेंस को मेन्टेन रखें। 4-कटी/ज्वाइन्ट युक्त/क्षतिग्रस्त इसंसुलेशन वाली लीड्स/ तारों को प्रयोग में न लाया जाये। 5-अपने विद्युत अधिष्ठापन को सुरक्षित दशा में अनुरक्षित रखें। नोट:-उक्त निरीक्षण रिपोर्ट/प्रमाणपत्र विद्युत अधिष्ठापन के प्रारम्भिक निरीक्षण से संबन्धित है। यह पता प्रमाणक, परिसर में होने वाले कार्य/उत्पादअथवा परिसर के स्वामित्व को प्रमाणित किये जाने के लिये मान्य नहीं है।

BHAGIRATH
सहायक निदेशक ,

संख्या: 26VSNOC02039902वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2025-26,तदिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपनिदेशक, विद्युतसुरक्षा, 30प्र0 शासन मेरठ रीजन।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड. हापुड को इस आशय से प्रेषित कि निदेशालय की वेबसाइट

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें ।



BHAGIRATH
सहायक निदेशक

This document is Digitally Signed and नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व आप अपने अधिष्ठापन के नियतकालिक निरीक्षण हेतु विद्युत् सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट <https://www.vidyutsuraksha.org/> पर आवेदन करें। यदि आप द्वारा समय से नियतकालिक निरीक्षण नहीं कराया जाता है तो विद्युत् अधिनियम २००३ की धारा -146 के अंतर्गत तीन माह तक का कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

Digitally signed by BHAGIRATH
Date: 2025.11.23 09:29:31 +05:30
Reason: I approve this document